



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 183-2017/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017 (ASVINA 25, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 अक्टूबर, 2017

संख्या 110/एसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), (जिसे इस अधिसूचना में, इसके पश्चात् "हरियाणा जीएसटी अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, विनिर्दिष्ट करते हैं कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "सीजीएसटी अधिनियम" निर्दिष्ट किया गया है), के अधीन नियुक्त अधिकारी, जो केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) की धारा 54 या धारा 55 के प्रयोजनों के लिए बोर्ड के आयुक्त द्वारा समुचित अधिकारियों (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, इस अधिसूचना में "उक्त अधिकारियों" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के रूप में प्राधिकृत हैं, हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 54 या धारा 55 तथा इसके अधीन बनाये गए नियमों के अधीन, उक्त अधिकारियों की क्षेत्रीय अधिकारिता में अवस्थित किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में, जो उक्त अधिकारियों को प्रतिदाय की मंजूरी के लिए आवेदन करता है, प्रतिदाय की मंजूरी के प्रयोजनों के लिए समुचित अधिकारियों के रूप में कार्य करेंगे।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th October, 2017

No. 110/ST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as “Haryana GST Act”), on the recommendations of the Council, the Governor of Haryana hereby specifies that the officers appointed under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the “CGST Act”) who are authorized to be the proper officers for the purposes of section 54 or section 55 of the CGST Act (hereafter in this notification referred to as “the said officers”) by the Commissioner in the Board, shall act as proper officers for the purpose of sanction of refund under section 54 or section 55 of the Haryana GST Act read with the rules made there under, in respect of a registered person located in the territorial jurisdiction of the said officers who applies for the sanction of refund to the said officers.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Excise and Taxation Department.